

मूलवाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सिणधरी
पीठासीन अधिकारी:- श्री प्रमोद कुमार, आर.ए.एस.

<u>वादी</u>	<u>उनवान</u> बनाम	<u>प्रतिवादीगण</u>
भंवरीदेवी पत्नी जीयाराम जाति जाट निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर		1. सत्तार मोहम्मत पुत्र सदीकखां 2. सफी मोहम्मद पुत्र सदीकखां 3. जुलेखां पत्नी सदीकखां जातियान मुलसमान, निवासी पायला कलां तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर 4. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

दावा बाबत:- 53,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर :-04/2022

निर्णय दिनांक :- 13.12.2023

वादीगण की ओर से श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता एवं प्रतिवादी एकतरफा में इस वाद में आज तारीख 13.12.2023 को श्री प्रमोद कुमार (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर सिणधरी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है कि:-**वादीगण का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर निर्णय दिनांक 13.12.2023 में अंकित अनुसार भूमि उनकी खातेदारी में पृथक से धोषित की जाती है। तहसीलदार सिणधरी को आदेश दिये जाते हैं कि वह मुताबिक निर्णय अनुसार नियमानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 13.12.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।


उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, सिणधरी

वाद के खर्चे

वादीनीगण		प्रतिवादीगण	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		2. अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		3. प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		4. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		5. आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		6. कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार.आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :- 04 / 2022

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भंवरीदेवी पत्नी जीयाराम जाति जाट निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाडमेर		1. सत्तार मोहम्मद पुत्र सदीकखां 2. सफी मोहम्मद पुत्र सदीकखां 3. जुलेखां पत्नी सदीकखां जातियान मुलसमान, निवासी पायला कला तहसील सिणधरी जिला बाडमेर 4. श्रीमान तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 व 209 राजस्थान

काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति-

1. श्री जोगराज पोटलिया अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादी एकरतफा

निर्णय

दिनांक- 13.12.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की संयुक्त खातेदारी भूमि खेत मौजा पायला कला के खसरा संख्या 522/4 रकबा 0.9223 हैक्टेयर तहसील सिणधरी भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 28.09.2023 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उपस्थित पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।

लिहाजा वादी का वाद अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर तहसील सिणधरी की भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य जाता है।

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान
1	भवरीदेवी पत्नी जीयाराम जाति जाट सा. खातेदार	522/4	0.2427	बा.अ.	-
2	सतार मोहम्मद पुत्र सदीक खा हिस्सा 2/21 सफी मोहम्मद पुत्र सदीक खा हिस्सा 19/42 जुलेखा पत्नी सदीक खा हिस्सा 19/42	522/4	0.6796	बा.अ.	नीला

नामांतरकरण भरकर तहसीलदार, सिणधरी को आदेशित किया जाता है, कि वह उपरोक्तानुसार करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करे। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना - अपना वहन करें।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) सिणधरी

कार्यालय

04/2022

0223 है

सलमान

महोदय

04/2022

9223 है

सलमान